वित्तीय स्वीकृति/पूंजीगत पक्ष/पंजीकृत डाक से
दूरभाष/फैक्सः 0135–2743773
ई–मेल: dir-soldierwel-uk@nic.in
निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड
15–सी कालीदास मार्ग, हाथीबड़कला
देहरादून – 248001

संख्याः 4003/सै.क./बजट आंव/पूंजीगत/2024–25/ 26 मार्च 2025

सेवा में,

जिला सैनिक कल्याण एंव पुनर्वास अधिकारी
पिथौरागढ।

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 के पूंजीगत मद में जिला–पिथौरागढ़ के ग्राम भटेडी में "शहीद नायब सुबेदार चंचल सिंह गोबाडी" की स्मृति में शहीद द्वार बनाये जाने हेतु प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

1. उपरोक्त विषयक सचिव, सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश– 295/XVII-C-1/ 2025-4(2)25E-82313 दिनांक 25 मार्च 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)।

2. उक्त संबंध में सैनिक कल्याण विभाग के अनुदान संख्या–15, के पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्षक 4235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–03–सैनिक कल्याण–10–शहीद द्वार/स्मारकों का निर्माण–53–वृहद् निर्माण मद में संलग्न कोषागार अलोटमेंन्ट आई.डी. के अनुसार निम्नानुसार धनराशि आवंटित की जा रही हैः–

क्रम. संख्या	आहरण वितरण अधिकारी	अलोटमेंन्ट आई डी संख्या	दिनांक	वर्तमान में आवंटित धनराशि 2024–25
1	2	3	4	5
1.	जिला सैनिक कल्याण एंव पुनर्वास अधिकारी पिथौरागढ़	H25030150194	25-Mar-2025	4,97,000.00
	योग –			4,97,000.00

(रूपये चार लाख सतानबे हजार मात्र)

3. उक्त आंवटित धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

4. उक्त आंवटित धनराशि के आहरण के उपरान्त वित्तीय एंव भौतिक प्रगति का विवरण एंव उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रतिमाह प्रेषित किया जाय। उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अर्जित ब्याज के संबंध में भी सूचना प्रेषित की जाय।

5. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही आवंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के कियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान में प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगाः–

(1) आहरित धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर मासिक व्यय विवरण रिपोर्ट पर (**Monthly Statement of Expenditure BM-4**) प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय, उनमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जायेगा।

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त–पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(4) बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अलावा मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

6. संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर 01 (क.सं0–i से xxv) में दिये गये समस्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः यथोपरि ।

भवदीय,

(आशीष कुमार खुदलानी)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
सैनिक कल्याण विभाग

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः –

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी, पिथौरागढ़ ।
3. संयुक्त सचिव, सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन ।
4. कल्याण अनुभाग, निदेशालय –शासनादेश की छायाप्रति सहित आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
5. कार्यालय प्रति ।

वरिष्ठ वित्त अधिकारी

Print Date:-26/Mar/2025 02:20 AM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown

Digitally signed by: Mr Ashish Kumar Khudlani
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 26-03-2025 02:20:29

Head of Department : Director Soldier Welfare (4732)
Treasury-Pithoragarh(3800)
DDO-District Soldier Wel Rehab Officer(4734)

आवंटन पत्र संख्या - 4003/SK/bgt/capital/24-25

आवंटन आई डी - H25030150194

अनुदान संख्या - 015

आवंटन पत्र दिनांक - 25-MAR-2025

लेखा शीर्षक -

4235	सामाजिक सुरक्षा और कल याण पर पूँजीगत परि० यय	**60**	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम
800	अन य ० यय	**03**	सैनिक कल्याण
10	शहीद द्वार/स्मारको का निर्माण		

4	2	3	5	6	0	8	0	0	0	3	1	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	0	497000	0	497000
	योग	0	497000	0	497000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 4,97,000 (Rupees Four Lacs Ninety Seven Thousand Only)

Batch ID : DIS:4732:4732:2503:0019

Approval Status : e-Sign letter

संख्या : 295 /XVII-C-1/2025–4(2)25(E-82313)

प्रेषक

दीपेन्द्र कुमार चौधरी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय
देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक : 25 मार्च, 2025

विषयः– **जिला पिथौरागढ़ के ग्राम भटेडी में "शहीद नायब सूबेदार चंचल सिंह गोबाडी" की स्मृति में शहीद द्वार बनाये जाने हेतु प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक सैनिक कल्याण निदेशालय के पत्र संख्या 3012/शहीद द्वार/सै.क.–3/367 दिनांक 02.01.2025 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पिथौरागढ़ के ग्राम भटेडी में "शहीद नायब सूबेदार चंचल सिंह गोबाडी" की स्मृति में शहीद द्वार बनाये जाने हेतु कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम–पिथौरागढ़ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उनके द्वारा गठित आगणन की विभागीय टी0ए0सी0 परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण रूपये 4.97 लाख की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य की **कुल धनराशि रू0 4.97 लाख (रू0 चार लाख सतानवे हजार मात्र) को** निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i. शहीद द्वार का निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाय कि द्वार हेतु निर्मित कॉलम आन्तरिक फेस के बीच सडक की चौडाई कम से कम 7.50 मी0 रखी जाय। मोटर मार्ग के Right of way के अन्दर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जायेगा। निर्माण के दौरान यातायात सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यदायी संस्था की होगी।

ii. शहीद द्वार की ऊंचाई कम से कम 6.50 मीटर रखी जाय। मोटर मार्ग पर किसी भी तरह के वाहनों के आवागमन में कोई असविधा उत्पन्न न हो।

iii. शहीद द्वार की नींव खुदाई के दौरान सड़क की क्षतिग्रस्त सतह की मरम्मत कर पूर्व अवस्था में लाया जाय। यदि गेट निर्माण से मोटर मार्ग को कोई क्षति पंहुचती है तो उसकी मरम्मत हेतु कार्यदायी संस्था को स्वंय क्षति का वहन करना होगा।

iv. गेट निर्माण हेतु प्रयोग किये जाने वाले मैटेरियल को सड़क पर नहीं गिराया जायेगा। निर्माण के उपरान्त पानी निकासी इत्यादि व्यवस्था को पूर्ववतः व्यवस्थित किया जाना होगा।

v. शहीद सैनिकों की स्मृति में शहीद द्वार/स्मारक बनाये जाने हेतु दिशा–निदेश संबंधी शासनादेश संख्या 1028/2023 दिनांक 06.12.2023 के बिन्दु 1.(च) तथा बिन्दु 2.(ख)5. की अनुपालना अवश्य करा ली जाय।

vi. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितना कि धनराशि स्वीकृत की गयी है।

vii. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

viii. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

ix. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा

प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।

x. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

xi. प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

xii. स्वीकृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

xiii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।

xiv. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–I/201358/2024/09(150)/2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xv. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

xvi. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7 (वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाए।

xvii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

xviii. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

xix. स्वीकृत की जा रही धनराशि का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं तत्सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण–पत्र (अवमुक्त धनराशि पर अर्जित अद्यतन ब्याज को राजकोष में जमा करा दिये जाने की सूचना सहित) शासन को अनिवार्य प्रस्तुत किया जाए।

xx. प्रतिमाह के अन्त में व्यय विवरण बी0एम0–13 पर एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा किये गये कार्यो का प्रगति विवरण नियमित रूप से शासन को अविलम्ब 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय–समय पर आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित किया जायेगा।

xxi. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा **उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ब्याज के सम्बन्ध में सूचना** उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–FINI-8/8.2/5/2022-XXVII-1 Finance Department (Computer No. 21535)दिनांक 03.11.2022 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

xxii. निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाए।

xxiii. आगणन में जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त कर, दर विश्लेषित करते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही उन मदों का नियमानुसार कार्य कराया जाए।

xxiv. योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

XXV. योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–03 10–शहीद द्वार/स्मारकों का निर्माण–53–वृहद् निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 के कम्प्यूटर जनरेट संख्या –I/284100/2025 दिनांक 20.03.2025 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

Signed by
Deependra Kumar Chaudhari
Date: 25-03-2025 14:53:50

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या : 295 ( )/XVII-C-1/2025–4(2)25(E-82313), तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (उत्तराखण्ड) कौलागढ़, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून, पिथौरागढ़।
3. बजट निदेशालय, देहरादून।
4. कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम–पिथौरागढ़ (कार्यदायी संस्था)।
5. वित्त अनुभाग–01 एवं 02 तथा 03 उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Signed by
Nirmal Kumar
Date: 25-03-2025 17:03:04

(निर्मल कुमार)
अनुसचिव।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-25/Mar/2025 05:38 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Signature valid
Digitally signed by: Mr Harish Singh Rawat
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 25-03-2025 17:38:35

Administrative Department : Secretary, Soldier Welfare (S046)

Head of Department : Director Soldier Welfare (4732)

आवंटन पत्र संख्या - 4(2)25

अनुदान संख्या - 015

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S25030150051

आवंटन पत्र दिनांक - 25-MAR-2025

4235	सामाजिक सुरक्षा और कल याण पर पूँजीगत परिव यय	60	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम
800	अन य व यय	03	सैनिक कल्याण
10	शहीद द्वार/स्मारको का निर्माण		

4	2	3	5	6	0	8	0	0	0	3	1	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	4221000	497000	0	4718000
	योग	4221000	497000	0	4718000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 4,97,000 (Rupees Four Lacs Ninety Seven Thousand Only)

Batch ID : DIS:S046:S046:2503:0008

Approval Status : e-Sign letter